

बिरम शर्मा बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार बालेसर)

नं० व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

सू.अ.अ. अपील संख्या 202/2020

23.11.20

अपीलार्थी विरम शर्मा पुत्र सुमेराराम जाति ब्राह्मण निवासी बालेसर सता जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 26.08.2020 में उसके द्वारा (1) 1 जनवरी 2019 से आज दिनांक 26.08.2020 तक श्रीमान् तहसीलदार बालेसर के द्वारा किये गये आंबटन, नियमन की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बालेसर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार बालेसर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार बालेसर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बालेसर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

